

(192)

क्रमांक 635/2015/118769 : 15-6-2015, 12:30

625/2015

एच०पी० सिंह,

विशेष राधिक

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-एटा की निकाय-भूतेश्वर की 01 परियोजना हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-385/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मूल्यवृद्धि/2015-16, दिनांक 07 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-एटा की निकाय-भूतेश्वर की अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 96 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना हेतु ₹ 359.78 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित देय अंतर की धनराशि ₹ 90.71 लाख (रुपये नब्बे लाख इकहत्तर हजार मात्र) को शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-2015-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाई ₹ 0 में)

क्र०	जनपद/ परियोजना/ कुल आवासों की संख्या।	मूल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	मूल परियोजना लागत के लाभार्थियों सापेक्ष	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की सापेक्ष	अनुसूचित द्वितीय वर्ग के आवासों की परियोजना लागत।	केन्द्रीय वर्ग के जिसे गणना हेतु प्रथम/ द्वितीय सम्मिलित किया व शार्टफाल के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि।	पी०एल० परियोजना एफ०सी०	पुनरीक्षित परियोजना द्वारा अनुसूचित वर्ग के आवासों की पुनरीक्षित परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित।)	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान रहित।)	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग स्वीकृति हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	एटा/भूतेश्वर- 96 आवास	258.41	96	258.41	246.11	-	359.78	359.78	336.82	90.71	
	योग									90.71	

क्रमशः.....2

पूर्णपात्र/पूर्णतुल

F

10/7/15

- उक्त धनराशि नरान्तर रोजाना ५० रुपये के विकास का भवित्व विभागीय विवरण में लिखा गया है। इसका उल्लंघन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय विधि संबंधी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों/परिवर्तनों के द्वारा न उपयोग किया जाना चाहिए।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय विधि संबंधी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों/परिवर्तनों के द्वारा न उपयोग किया जाना चाहिए।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय विधि संबंधी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों/परिवर्तनों के द्वारा न उपयोग किया जाना चाहिए।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत लिया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुनिश्चित सीधा ने परियोजनाएँ पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्के नेट अनुमत्य न होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षेत्र योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेगे।
- उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/इडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमत्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमत्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ एवं सम्बन्धित इडा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-वी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक २०.०३.२०१२ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमत्यता की सीमा तक व्यय

2. यह आदेश दिनांक (मात्र-तिथि) मनुभावा १ का वाला नाम संख्या-226 पर 1925/2015  
23/1/2015, दिनांक 30 नवंबर, 2015 के दृष्टि से लिखा रखा रह है।

शहदीग  
१५०४  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या- 635 /2015/1187(1)/69-1-15-63(बजट)/09टीसी, तदिनांक।

प्रतिलिपि निभन्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यदाती हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लैस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, एटा।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज/कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेकट्रेट लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आशा से,  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।